अपील संख्या 99/2017 एल आर एक्ट
अनवान जसविन्द्र कौर वगैरह बनाम गुरदासकौर वगैरह

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
22–07–2019	पत्रावली वास्ते आदेश बाबत प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। इस न्यायालय में यह अपील अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा दिनांक 26.08.2005 को उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 16.08.2005 के विरूद्व पेश की गई । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। इसके बाद अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट के निमित सम्मन पेश करने हेतु बार बार पाबन्द किया गया। दिनाक 29.5.18 को अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के निमित सही पता अंकित कर रजिस्ट्र्ड एडी सम्मन पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुरदास कौर के निमित जारी रजिस्ट्र्ड एडी सम्मन लिफाफा पर प्राप्त कर्ता की मृत्यु होने की रिर्पोट होकर वापिस प्राप्त हुआ। दिनांक 4.7.18 से अभिभाषक अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उनके जायज वारिसानो की सूची पेश करने हेतु लगातार पाबन्द किये जाने के बावजूद भी आज तक पेश नही किये है। इस संबध मे अभिभाषक अपीलांट ने बतलाया कि अपीलांट मेरे संपर्क में नही हे। पत्रावली वर्ष 2005 से विचाराधीन चल रही है। अपीलांट एवं अभिभाषक अपीलांट जो स्वय न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में आकर अपील प्रस्तुत की लेकिन बाद मे स्वय न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश के अभाव को सिद्व करती है व स्वेच्छा से मामला चलाने मे अरूचि जाहिर करती है। न्याय की वांछा करने वाले पक्षकार की ....लगातार..........................	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

यह जिम्मेदारी होती है कि वह उन व्यक्तियो के नाम पते व जानकारी न्यायालय को दे जिनके विरूद्व वह उपचार चाहता हे। इस प्रकार अभिभाषक अपीलांट को बार–बार पाबन्द करने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही करने के कारण यह पत्रावली अदम तकमील में खारिज की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया 140-141
25-7-19